संख्या- 02 /2021/282जेड/6-सा-3-2021-50जी/2017टी.सी.

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक **पेंशन अनुभाग-3** **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-515/छः:स्व0से0/2021-10(अधि0)/18, दिनांक 18.03.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू० 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन संलग्न बी०एम०-9 प्रपत्र के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:

1- जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कर लिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2021 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

5-जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए समयबद् रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2251-सामाजिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के मद संख्या-01-वेतन में होने वाली वचतों से अनुदान संख्या-28 लेखाशीर्षक-2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद मद में नामे डाला जायेगा। आयोजनेत्तर-200-अन्य योजनाएं-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन के मद संख्या-01-वेतन मद की सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आर ई-724/ई-12-2021, दिनांक 30.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्या-**02** /2021/282(1)जेड/6-सा-3-2021,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-12 उत्तर प्रदेश शासन। (तीन प्रतियों में।
5- गार्ड बुक।
6- बजट सहायक।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in